35

<u>न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू</u>
<u>पीठासीन अधिकारी हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)</u>

मुकदमा नम्बर 104/2022 दायर दिनांक–16.06.2022

1. भूराराम पुत्र बोयताराम जाति जाट निवासी खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

– वादी

बनाम

1. मदनलाल पुत्र द्वारका प्रसाद
   1/1 गीता देवी पत्नी मदनलाल
   1/2 गोपाल पुत्र मदनलाल
   1/3 नन्दलाल पुत्र मदनलाल
   1/4 नरेश चंद्र पुत्र मदनलाल
   1/5 वासुदेव पुत्र मदनलाल
   1/6/1 संजु पुत्र विश्म्भरदयाल
   1/6/2 पुष्पा पत्नी विश्म्भरदयाल
   1/7 सुभाषचंद्र पुत्र मदनलाल समस्त जाति महाजन निवासी खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
2. भूमि धारक जरिये तहसीलदार नवलगढ़, तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री सज्जन चाहर
वकील प्रतिवादी :– श्री सुरेन्द्र कुमार

<u>दावा बाबत घोषणा</u>
<u>व रिकॉर्ड दुरूस्ती</u>

–:: <u>निर्णय</u> ::–

दिनांक–28.06.2024

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि राजस्व ग्राम खिरोड़ में स्थित भूमि खसरा नम्बर 339 रकबा 0.8000 है0 खसरा नम्बर 674 रकबा 0.0400 है0 भूमि अवस्थित है। उपरोक्त खसरा नम्बरान् की भूमि वादी ने प्रतिवादी से दिनांक 26.03.1987 को 55000/– रूपये में खरीदी थी तथा बही में लिखापढी करवाकर वादी एवं प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर करवाकर वादी को कब्जा सौंप दिया था उसी दिन से वादी इस भूमि पर अपना कब्जा काश्त चालू कर दिया था। उक्त भूमि पर वादी 35 वर्षो से निर्विवाद रूप से काश्त करता आ रहा है। उक्त भूमि पर पक्के मकान बना रखे है व टयुबवैल भी लगा रखा है जिस पर विधुत कनेक्शन भी चालू है। वादी ग्रामीण परिवेश का होने के कारण उक्त भूमि की रजिस्ट्री नही करवाई क्योंकि वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आपस में प्रेम व विश्वास था। उक्त कृषि भूमि का मौके पर किसी प्रकार का कोई विवाद नही है। मौके पर कब्जा काश्त वादी का है। परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी का नाम दर्ज चला आ रहा है। इसलिए वादी ने अपने हिस्से की घोषणा करवाने व राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम इंद्राज करवाने के लिए उक्त वाद बाबत रिकॉर्ड दुरुस्ती का पेश किया है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर उक्त विवादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार वादी को घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जाकर वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 02 की तलबी सम्यक रूप से होने के बाजवूद उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/7 की ओर से वकील श्री सुरेन्द्र कुमार भर्रा उपस्थित न्यायालय होकर इकबालिया जबाब दावा पेश किया।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 02 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने पर तथा शेष प्रतिवादीगण द्वारा इकबालिया जबाव पेश होने पर प्रकरण में तनकीयात कायम नही की गई। वादी की ओर से शहादत वादी हेतु जितेन्द्र व भूराराम के चिफ के सपथ पत्र पेश किये। वकील प्रतिवादी ने शहादत नही पेश कर वाद अनुसार निर्णय जारी करने हेतु सहमति दी गई। वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में दस्तावेजात प्रदर्श–1

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

36

इकरारनामा प्रदर्श 2 नकल जमाबंदी सम्वत् 2075–78, प्रदर्श 3 विधुत बिल प्रदर्श 4 लगायत 7 मौका फौटो आदि दस्तावेज पेश किये।

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस मे वाद–पत्र में दर्ज तथ्यो को दोहराया। वकील प्रतिवादी ने वाद पत्र में दर्ज तथ्यों अनुसार निर्णय किये जाने पर सहमति दी। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रदर्श–2 ग्राम खिरोड़ का राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 के अनुसार वाके राजस्व ग्राम खिरोड़ में स्थित भूमि खसरा नम्बर 339 रकबा 0.8000 है0 खसरा नम्बर 674 रकबा 0.0400 है0 भूमि स्थित होना प्रमाणित है। प्रदर्श–1 इकरारनामा बाबत भूमि बेचान में स्पष्ट अंकित है कि मै मदनलाल पुत्र द्वारकाप्रसाद जाति महाजन निवासी खिरोड़ मै मेरी जमीन गांव खिरोड़ तन में खसरा नम्बर 339 रकबा 0.8000 है0 खसरा नम्बर 674 रकबा 0.0400 है0 का बेचान भूराराम पुत्र बोयताराम जाति जाट निवासी बेरी को कुल रूपया 55000/– रूपये में बेची है तथा मौजीज व्यक्तियों के सामने लिखापढी भी करवा दी है मैं आगे होली पर आउंगा तब रजिस्ट्री करवा दूंगा। भूराराम पुत्र बोयताराम को पांच व्यक्तियों के सामने मौका संभाल दिया है इस जमीन में मेरा कोई हक नही है। उक्त ईकरारनामा में गवाह के रूप में क्रेता भूराराम, विक्रेता मदनलाल व उपस्थित गवाहान् के हस्ताक्षर है। जिससे भूमि ज़रिये इकरारनामा विक्रय किया जाना प्रमाणित होता है। गवाह श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी खिरोड़ ने अपने शपथ पत्र में कथन किया गया है कि वह वादी व प्रतिवादी को जानता है तथा राजस्व ग्राम खिरोड़ में स्थित भूमि खसरा नम्बर 339 रकबा 0.8000 है0 खसरा नम्बर 674 रकबा 0.0400 है0 भूमि पर वादी का कब्जा काश्त है तथा वादी द्वारा प्रतिवादी से उक्त भूमि 55000/– रूपये देकर क्रय की गई थी। वादी द्वारा उक्त भूमि जरिये ईकरारनामा से क्रय किया जाना प्रमाणित है तथा कब्जा काश्त भी लगभग 35 वर्षो से वादी का होना प्रमाणित है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि के संबंध में किसी प्रकार का वाद आज तक पेश नही किया है जिससे स्पष्ट है कि वादी का आज तक प्रतिवादीगण की सहमति से शांति पूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा प्रतिवादीगण द्वारा भी उक्त के संबंध मे इकबालिया जबाब पत्रावली पर पेश है। ऐसी स्थिति में जहां प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार कर लिया है एवं दोनों पक्षों के बीच कोई विवाद शेष नही रहा है, वहां न्यायालय को राजस्व हानि/कर चोरी का पक्ष देखना आवश्यक है। वादी द्वारा अपना वाद प्रतिवादीगण के इकबालिया जबाब, दस्तावेजी साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य एवं कब्जा काश्त अनुसार पूर्णतया साबित पाया गया है। उभय पक्ष की सहमति को देखते हुए न्यायालय राय में उक्त प्रकरण कर अपवंचन का प्रतीत होता है अतः वाद वादी राजस्व हानि के दृष्टि से सशर्त वर्तमान डी.एल.सी. दर से देय मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क वादी से जमा करवाया जाकर वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना उचित है। अतः वाद वादी न्यायोचित होने से उक्तानुसार स्वीकार किया जाता है।

–:: **आदेश** ::–

लिहाजा वाद वादी सशर्त मुद्रांक कर/पंजीयन शुल्क अदा करने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि राजस्व ग्राम खिरोड़ में स्थित भूमि खसरा नम्बर 339 रकबा 0.8000 है0 खसरा नम्बर 674 रकबा 0.0400 है0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 01 मदनलाल पुत्र द्वारका प्रसाद का नाम हजफ किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेश दिये जाते है कि वह उक्त रकबे पर वर्तमान डी.एल.सी. दर से देय मुद्रांक शुल्क व पंजीयन शुल्क वादी से जमा करवाने पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) नवलगढ

तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 28.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/06/24

(हवाई सिंह यादव)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट,(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

38

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

मुकाम बईजलास हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : घोषणा व रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा सं0:–104 / 2022 **(भूरालाल बनाम मदनलाल आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **हवाई सिंह यादव** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 28.06.2024 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम खिरोड़ में स्थित भूमि खसरा नम्बर 339 रकबा 0.8000 है0 खसरा नम्बर 674 रकबा 0.0400 है0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 01 मदनलाल पुत्र द्वारका प्रसाद का नाम हजफ किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेश दिये जाते है कि वह उक्त रकबे पर वर्तमान डी.एल.सी. दर से देय मुद्रांक शुल्क व पंजीयन शुल्क वादी से जमा करवाने पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे।

बसक्ष्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 28.06.2024 को जारी की गई।

(हस्ताक्षर) 28.6.24

हवाई सिंह यादव (R.A.S.)

सहायक कलेक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00